इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2018—चैत्र 30, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2018

क्रमांक 513/मप्रविनिआ/2018 — विद्युत् अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त अन्य समस्त शक्तियों से सामर्थ्यकारी बनाते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन—व्यवस्थान क्रिया विधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंमः
 - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 है।
 - (2) इस का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।
 - (3) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिभाषाएं.-
- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36);
 - (ख) "वास्तविक आहरण" से अभिप्रेत है किसी समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा आहरण की गई यथास्थिति, इन्टरफेस मीटर द्वारा मापी गई विद्युत्;
 - (ग) "वास्तविक अन्तःक्षेपण" से अभिप्रेत है किसी समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा उत्पादित या प्रदाय की गई यथास्थिति, इन्टरफेस मीटर द्वारा मापी गई विद्युत,;
 - (घ) "उपलब्ध क्षमता" से अभिप्रेत है पवन या सोलर उत्पादकों, जो राज्य की इकाई हैं, हेतु पवन टरबाईन या सोलर प्रतीपकों (इन्वरटर) की संचयी क्षमता श्रेणी, जो दिए गए समय खण्ड में विद्युत् उत्पादन में सक्षम है;
 - (इ) "क्रेता" से अभिप्रेत है अल्प—अविध खुली पहुंच, मध्यम अविध खुली पहुंच तथा दीर्घ—अविध खुली पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के द्वारा विद्युत् क्रय करने वाले वितरण अनुज्ञिप्तिधारी या खुली पहुंच उपभोक्ता को सिमलित करते हुए व्यक्ति;
 - (च) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 की उप—धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;
 - (छ) "विचलन" से अभिप्रेत है विक्रेता हेतु किसी समय खण्ड में इसके कुल वास्तविक अन्तःक्षेपण में से इसके कुल अनुसूचित उत्पादन को घटाकर ऊर्जा/मात्रा तथा क्रेता के लिए अभिप्रेत है कुल वास्तविक आहरण में से कुल अनुसूचित आहरण को घटाकर ऊर्जा/मात्रा और ए.स.एल.डी.सी. द्वारा तैयार किए जाने वाले राज्य ऊर्जा खातों का भाग होगी;
 - (ज) "विचलन आर.ई." (जैसे शब्द स्पष्ट त्रुटि) से अभिप्रेत है अनुसूचित उत्पादन तथा उपलब्ध क्षमता, जैसा कि प्रत्येक 15 मिनिट के समय—खण्ड हेतु निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए

संगणित की जाएगी, के संदर्भ सहित पवन या सोलर उत्पादक, जो राज्य की इकाई हैं, वास्तविक उत्पादन में त्रुटि पूर्ण मूल्य;

गलती (प्रतिशत) = [100 x [वास्तविक उत्पादन-अनुसूचित उत्पादन] / ए.वी.सी.]

- (झ) "विद्यमान आर.ई. परियोजना" से अभिप्रेत है इस विनियम की अधिसूचना की तारीख से पूर्व प्रारंभ की गई, पवन उत्पादित परियोजना या सोलर उत्पादित परियोजना और तदानुसार अभिव्यक्ति विद्यमान पवन / सोलर उत्पादक का अर्थ लगाया जाएगा:
- (ञ) "गेमिंग" इन विनियमों के संबंध में अभिप्रेत है विक्रेता द्वारा विचलन प्रभार के माध्यम से असम्य्क वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने हेतु घोषित क्षमता की संशय मिथ्या—घोषणा;
- (ट) "ग्रिड कोड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 की उप—धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड कोड;
- (ठ) "इन्टरफेस मीटर" से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (मीटरों को लगाना तथा संचालन) विनियम, 2006 के अधीन, समय—समय पर यथा संशोधित, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित इन्टरफेस मीटर;
- (इ) "अन्तरसंयोजित बिन्दु" से अभिप्रेत है निकाय स्टेशन की ओर एच.वी. (एम/एस निकाय की ओर एच.वी. का बर्हिगमन प्रदायक का लाइन पृथक्कर्ता) जो उसी स्तर तक होगा जिस पर आगे एस.एल. डी.सी. को प्रस्तुत करने हेतु पवन तथा सोलर उत्पादन स्टेशन द्वारा पूर्वानुमान तथा अनुसूची तैयार किए जाने की आवश्यकता है;
- (ढ़) 'राज्य भार प्रेषण केन्द्र'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उप—धारा (1) के अधीन स्थापित राज्य का भार प्रेषण केन्द्र राज्य ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार क्रेता तथा विक्रेता के अनुसूचीकरण को समन्वयन करने हेतु उत्तरदायी;
- (ण) "नया आर.ई. परियोजना" से अभिप्रेत है इस विनियम की अधिसूचना की तारीख के पश्चात् प्रारंभ की गई पवन उत्पादक परियोजना या सोलर उत्पादक परियोजना और तदनुसार नया पवन/सोलर उत्पादक का अर्थ लगाया जाएगा;
- (त) "खुली पहुंच विनियम" से अभिप्रेत है समय—समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2005 और इसमें सिमलित हैं कोई पश्चात्वर्ती उसका संशोधन;
- (थ) "निकाय खाता" से अभिप्रेत है पवन तथा सोलर उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए क्रेता या विक्रेता द्वारा विचलन खाते में रसीद तथा भुगतान हेतु राज्य खाता;

(द) "निकाय स्टेशन" से अभिप्रेत है वह उप स्टेशन जहां आगामी उच्च वोल्ट्रेज स्तर के साथ अन्तराफलक करने (इनटरफेसिंग) हेतु एकल पवन उत्पादकों या सोलर उत्पादकों के उत्पादन का एकत्रीकरण किया जाता है;

परन्तु यह कि जहां पवन/सोलर उत्पादकों हेतु पृथक निकाय स्टेशन नहीं है और उत्पादक स्टेशन सामान्य प्रदायक द्वारा संयोजित हों और वितरण कम्पनी/एस.टी.यू./सी.टी.यू. के उप—केन्द्रों पर समाप्त हो जाती हो यथास्थिति, वितरण कम्पनी/एस.टी.यू./सी.टी.यू. के उप—केन्द्र का ऐसे पवन/सोलर उत्पादकों हेतु निकाय स्टेशन के रूप में विचार किया जाएगा;

- (ध) "अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण (क्यू सी ए)" अभिप्रेत है निकाय स्टेशन से संयोजित पवन/निकाय सोलर उत्पादक के निमित्त समन्वय अभिकरण । अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण उत्पादकों में से कोई उत्पादक या निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु परस्पर सहमत कोई अन्य अभिकरण हो सकता है,
 - जो निकाय स्टेशन (स्टेशनों) से संयोजित समस्त पवन/सोलर उत्पादकों के निमित्त कालिक पुनरीक्षण सहित अनुसूचियों हेतु समन्वय करता हो;
 - जो मापक लगाने (मिटरिंग), डाटा संग्रहण / पारेषण, संसूचनाओं हेतु एस.टी.यू / एस.एल.डी.सी.
 से समन्वय हेतु उत्तरदायी हो;
 - जो एस.एल.डी.सी. के माध्यम से क्षेत्रीय/राज्य विचलन निकाय खातों को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्रभारों, जो केवल उत्पादन विचलन के अनुकूल हों, के उत्पादकों के निमित्त वाणिज्यिक, बंदोबस्त का भार अपने ऊपर लेता हो;
 - जो राज्य विचलन निकाय खाते से उत्पादकों के निमित्त डी. पूलिंग के भुगतान का भार अपने ऊपर लेगा और उसे एकल उत्पादन को चुकाएगा;
 - उत्पादकों के निमित्त किसी अन्य प्रभार, जैसा कि समय—समय पर यथा अधिदिष्ट किया
 जाए, का वाणिज्यिक बन्दोबस्त का भार अपने ऊपर लेता हो;
 - अर्हतायुक्त समन्वय अभिकरण राज्य की इकाई के रूप में माना जाएगा और एस.एल.डी.सी.
 के साथ पंजीकृत किया जाएगा ।
- (न) "अनुसूचित उत्पादन" से अभिप्रेत है किसी समय या किसी समय खण्ड के लिए या किसी कालाविध पर संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एम.डब्ल्यू या एम.डब्ल्यू एच.एक्स.बस में दिए गए अनुसूचित उत्पादन;

- (प) "अनुसूचित आहरण" से अभिप्रेत है किसी समय पर या किसी समय—खण्ड में या किसी कालाविध पर संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एम.डब्ल्यू या एम.डब्ल्यू एच.एक्स. बस में दिए गए अनुसूचित आहरण;
- (फ) "विक्रेता" से अभिप्रेत है अल्पकालिक खुली पहुंच, मध्यम कालिक खुली पहुंच तथा दीर्घ कालिक खुली पहुंच को लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित कार्य—सम्पादन के माध्यम से विद्युत प्रदाय करने वाली उत्पादन स्टेशन को सम्मिलित करते हुए व्यक्ति;
- (ब) "राज्य इकाई" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो एस.एल.डी.सी. नियंत्रण क्षेत्र में हो और जिसके मीटर लगाने तथा ऊर्जा लेखा राज्य स्तर पर किया जाता हो;
- (भ) "समय खण्ड" से अभिप्रेत है 15 मिनट का समय खण्ड जिसके लिए पहली बार 00.00 घण्टों पर प्रारंभ होने वाले खण्ड सहित विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटर तथा विनिर्दिष्ट ऊर्जा विशिष्ट मीटर द्वारा अभिलिखित की गई मात्रा;

परन्तु यह कि आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से 5 मिनट तक पुनरीक्षित की जाएगी ।

2. जैसा कि ऊपर कहा गया है उसके सिवाय और जब तक सन्दर्भ या विषय—वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो ऐसे शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस विनियम में उपयोग किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम या ग्रिड कोड या इस आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम या ग्रिंड कोड या किसी अन्य विनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. उद्देश्य तथा विस्तार

- (1) इस विनियम का उद्देश्य ग्रिड के नियंत्रण तथा ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखना है जैसा कि ग्रिड कोड में ग्रिड के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत् की आहरण तथा आवक के माध्यम से विचलन बन्दोबस्त हेतु वाणिज्यिक प्रणाली पर विचार किया गया है ।
- (2) ये विनियम उन विक्रेता (विक्रेताओं) तथा क्रेता (क्रेताओं) को लागू होंगे जो अन्तर्राज्यीय पारेषण में अल्पकालिक खुली पहुंच या मध्यम कालिक खुली पहुंच या दीर्घ कालिक खुली पहुंच या (राज्य के बाहर तथा भीतर विक्रय की गई ऊर्जा को सम्मिलित करते हुए) उन समस्त पवन उत्पादकों जिनकी सम्मिलित स्थापित क्षमता 10 मेगावाट और उससे अधिक तथा सोलर उत्पादकों जिनकी स्थापित क्षमता 5 मेगावाट और उससे अधिक हो तथा जो पूलिंग स्टेशन से जुड़े हुए हों, को सम्मिलित करते हुए तथा राज्य के भीतर एवं बाहर ऊर्जा का विक्रय कर रहे हों ।

विचलन बन्दोबस्त प्रणाली में भागीदारी हेतु पूर्व — शर्तें;

इन विनियमों का उद्देश्य राज्य की विभिन्न इकाईयों के कार्यों को इस प्रकार शासित करना है जिसमें राज्य की ऐसी इकाईयों द्वारा ऊर्जा को अन्तःक्षेपण तथा ऊर्जा प्रणाली को विश्वसनीयत तथा ईमानदारी को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण बनाए रखा जाता है । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य की इकाईयों द्वारा भागीदारी हेतु आवश्यक पूर्व शर्ते तथा प्रसंविदाएं नीचे दिए गए अनुसार होगी:

- (1) राज्य की समस्त ईकाईयों के साथ इन विनियमों में विनिर्दिष्ट विचलन बंदोबस्त प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समान तथा भेदभाव रहित व्यवहार किया जाएगा ।
- (2) राज्य इकाई एस.एल.डी.सी. को सूचित करेगी कि उन्होंने ऊर्जा के आदान—प्रदान हेतु समस्त संविदाएं की हैं।
- (3) एस.एल.डी.सी. नेटवर्क पारेषण में नेटवर्क पैरामीटर, बाध्यताओं, संकुलनों का यथा संभव मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रेषक स्टेशनों के बारे में, समस्त निर्णय लेगा और अंततोगत्वा ऐसे किसी विपथगामी नेटवर्क में प्रेषक तथा आहरण के बारे में एस.एल.डी.सी. द्वारा दिए गए निर्देश राज्य की समस्त इकाईयों पर बाध्यकर होंगे ।
- (4) राज्य इकाई अपने उपकरण तथा भार इस तरीके से संचालित करेगी जिससे वे भारतीय विद्युत् ग्रिड कोड तथा मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड के उपबंधों से संगत हो ।
- (5) राज्य इकाई बी.पी.टी.ए. (समूह ऊर्जा पारेषण करार) तथा संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उस संबंध में करार करेगा जिसमें विश्वसनीय प्रचालन तथा भौतिक पहुंच का लाम तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के संबंध में या उस मामलें में प्रवेश करने हेतु भौतिक तथा प्रचालन संबंधी आवश्यकता, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट होगी और संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के साथ वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु करार का उपयोग करेगा ।
- (6) एस.एल.डी.सी. अन्य सभी इकाईयों के लिए जरूरी सभी ऐसी जानकारी जिससे पूल के भीतर होने वाली ऊर्जा की अदला—बदली के प्रति समस्त अन्य राज्य इकाईयों को सजग करना अपेक्षित है; यदि कोई हो ।
- (7) समस्त राज्य इकाईयां उचित मीटर लगाने, प्रवेश करने तथा आहरण करने वाले बिन्दु पर 15 मिनट के अन्तराल से बहने वाली ऊर्जा हेतु आवश्यक प्रबंधन करेगा ।

विचलन व्यवस्थापन क्रिया विधि (मेकेनिज्म) प्रचालन करने हेतु सिद्धान्त;

विचलन व्यवस्थापन क्रिया विधि की रचना के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य रूपांकन मापदण्ड होंगे अर्थात् :--

- (क) सूचीबद्ध कालाविध (ख) विचलन (ग) व्यवस्थापन कालाविध (घ) राज्य विचलन समूह पूल हेतु मापन इकाई (ड) विचलन समूह पथ मूल्य (च) विचलन मात्रा की सीमा (छ) हानि के आवंटन हेतु आधार,
- (क) सूचीबद्ध कालावधि :- सूचीबद्ध कालावधि में 96 समय खण्ड सम्मिलित होंगे, प्रत्येक 15 मिनट की अवधि 00.00 घंटों (आई.एस.टी.) से प्रारम्भ होकर 24.00 सम्मिलित घंटों (आई.एस.टी) पर समाप्त होगी। सूचीबद्ध कालावधि प्रथम समय खण्ड 00.00 घंटों (आई.एस.टी.) से प्रारम्भ होकर 00.15 घंटों (आई.एस.टी.), कालावधि का द्वितीय समय खण्ड 00.15 घंटों (आई.एस.टी.) से प्रारम्भ होकर 00.30 घंटों तक होगा तथा इसी प्रकार चलता रहेगा:

परन्तु यह कि आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने पर सूचीबद्ध कालाविध 288 समय खण्ड तक पुनरीक्षित की जाएगी, प्रत्येक 5 मिनट की अविध 00.00 घंटों (आई.एस.टी.) से प्रारम्भ होकर 24.00 घंटों (आई.एस.टी.) पर समाप्त होगी। तदनुसार इन्टरफेंस मीटर, ऊर्जा लेखांकन तथा विचलन व्यवस्थापन 5 मिनट की कालाविध का संव्यवहार में सक्षम होगा। भविष्य में समग्र स्त्रोतों की योजना, आई.टी. तथा सूचना प्रणाली की आवश्यकता तथा आधारिक संरचना के विकास की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होगा।

उपलब्ध एस.एल.डी.सी. उत्पादक स्टेशनों (विक्रय) द्वारा अनुमानित अनुसूची तथा क्रेता द्वारा अनुमानित भार आवश्यकता पर आधारित आयोग द्वारा समय—समय पर गुणागुण के क्रम में अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार राज्य की इकाईयों हेतु आगामी दिन आधारित क्रम प्रेषण लागत निकालेगा:

परन्तु यह कि केवल ट्रांसिमशन (पारेषण) निरोध तथा आपातकाल प्रणाली शर्तो के अध्यधीन रहते हुए किए गए संविदा के अनुसार कैप्टिव उपभोक्ता तथा पहुंच उपभोक्ता को चक्रण तीव्रता संव्यवहार वर्ग प्रेषित किए जाएंगें।

- (ख) विचलन :- एस.एल.डी.सी. राज्य इकाइयों के बीच विचलन व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु यहां दिए गए सिद्धांतों के अनुसार राज्य ईकाईयों हेतु प्रत्येक अनुसूचीबद्ध कालावधि के सामने अधिक आहरण / कम आहरण तथा अधिक अन्तःक्षेपण तथा कम अन्तःक्षेपण को समाविष्ट करते हुए "विचलन समूह खातों" पर इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा ।
- (ग) व्यवस्थापन कालावधि:— पूल ऊर्जा खातों हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप साप्ताहिक आधार पर ''विचलन समूह खातों की तैयारी तथा व्यवस्थापन का कार्य किया जाएगा।

(घ) विचलन समूह खातों हेतु मापन कार्य युनिट :--

विचलन समूह हेतु मापन यूनिट (अधिक आहरण/कम आहरण तथा अधिक अन्तःक्षेपण/कम अन्तःक्षेपण) किलोवाट घण्टों (के.डवल्यू.एच) में होगी। विचलन संमूह खातों हेतु मापन यूनिट भारतीय रूपयों (आई.एन.आर.) में देय होगी तथा प्राप्त की जाएगी। ऊर्जा यूनिट का डेसिमल तत्व तथा राशि निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्ण की जाएगी।

- (इ) विचलन समूह पथ मूल्य :— आयोग द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किए जाने वाले विचलन पथ मूल्य के अनुसार विचलन हेतु प्रभार होगा। क्रेता / विक्रेता तथा पवन / सोलर उत्पादकों हेतु विचलन मूल्य, जिसे पृथक् रूप से प्रतिपादित किया गया है, विनियम 6 के अधीन नियत किए गए अनुसार लागू होगा। पुनः अतिरिक्त शर्त यह है कि विचलन चिन्हों में किसी परिवर्तन को क्रेता / विक्रेता द्वारा, पवन या सोलर उत्पादक (उत्पादकों) को छोड़कर, एकत्रित प्रत्येक 6 समय—खण्ड में जोड़ दिया जाएगा जिसमें असफल होने पर विचलन प्रभार का 10 प्रतिशत की लागू दर से अतिरिक्त प्रभार लगातार उज्जंघन होने की अविध हेतु वसूल किया जाएगा।
- (च) विचलन मात्रा की सीमा :- ग्रिड नियंत्रण तथा ग्रिड सुरक्षा, विचलन मात्रा सीमा हेतु शर्तो तथा ऐसी विचलन मात्रा सीमा के अतिक्रमण करने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त विचलन प्रभार के रूप में उग्रहण लागू किया जाएगा जैसा कि विनियम-8 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (छ) **हानि के आवंटन हेतु आधार** :— विचलन समूह खातों, अन्तर्राज्जीय पारेषण प्रणाली के प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा यथा अनुमोदित हानि राज्य की इकाइयों के बीच प्रत्येक इकाई द्वारा वास्तविक आहरण के अनुपात में आवंटित की जाएगी:

परन्तु यह कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक समय खण्ड हेतु वास्तविक अन्तर्राज्जीय पारेषण प्रणाली हानि के खातों को बनाए रखेगा और अपनी वेबसाइट पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित हानि के सामने 52 सप्ताह की औसत हानि का मिला जुला कथन प्रकाशित करेगा।

पूर्वानुमान, अनुसूचिकरण तथा गेंमिग का निष्कासन :--

- (क) <u>कार्यविधि</u> :--
- (1) ग्रिड कोड तथा समय—समय पर यथा संशोधित विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्जीय खुली पहुंच हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2005 खण्ड के उपबन्ध, जैसा कि क्षमता, अनुसूचीकरण करने तथा छल का निष्कासन करने हेतु लागू होंगें।
- (2) उत्पादन स्टेशन ग्रिंड कोड के अनुसार राज्य लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा अन्तिम रूप दी गई आगामी—दिन की उत्पादन अनुसूची के अनुसार, जहां तक सम्भव हो, विद्युत् उत्पादित करेगा :

परन्तु ग्रिड कोड तथा मध्यप्रदेश नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्जीय खुली पहुंच निबंधन तथा शर्ते) विनियम, 2005 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रचालन के दिन पर उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाएगा।

- (3) पवन तथा सोलर उत्पादन या क्यू.सी.ए. के पास यह विकल्प है कि या तो वह सम्बन्धित एस.एल. डी.सी. के पूर्वानुमान हेतु प्रभार उसकी अनुसूची को स्वीकार करे या अपने स्वयं के पूर्वानुमान पर आधारित अनुसूची एस.एल.डी.सी. को प्रदाय करे और ऐसी अनुसूची विचलन व्यवस्थापन हेतु निर्देश के रूप में उपयोग की जाएगी।
- (4) क्यू.सी.ए. संयोजित समस्त उत्पादकों की अनुसूचियों के पूर्णयोग को सम्मलित करेगा तथा एस. एल.डी.सी. को सूचित करेगा । क्यू.सी.ए. अपने—अपने निष्क्रिय स्टेशनों से सम्बन्धित पवन या सोलर उत्पादक (उत्पादकों) के निमित्त वाणिज्यिक व्यवस्थापना का दायित्व उपने ऊपर लेगा।
- (5) एस.एल.डी.सी. द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया में दूरभाषी डाटा हेतु योजना, पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के प्रारूप तथा इस सम्बंध में अन्य ब्योरे उपबन्धित किए जायेंगे और राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे।
- (6) आयोग या तो स्वप्रेरणा से या एस.एल.डी.सी. या अन्य प्रभावित पक्षकार द्वारा फाइल की गई याचिका पर किसी उत्पादन कम्पनी या विक्रेता के विरुद्ध छल (गेमिंग) के आरोपो पर प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो आयोग द्वारा निश्चित किए गए तरीके अनुसार जांच के आदेश दे सकेगा। जब उपरोक्त जांच में छल का आरोप स्थापित हो जाता है तो आयोग अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उत्पादन कम्पनी या विक्रेता द्वारा ऐसे छल की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए विचलन हेतु प्रभार को निषेध कर सकेगा।
- (7) पवन/सोलर उत्पादकों, जो राज्य की इकाई है, के अन्तर्राज्जीय या राज्यान्तरिक उपक्रमों के विचलन हेतु प्रभार इस विनियम के निम्नलिखित उप—खण्डों के अधीन उपबंधों की रूप रेखा के अनुसार शासित होगा।
- (ख) पवन या सोलर उत्पादक, जो राज्य की इकाई है, अन्तर्राज्जीय / राज्जीय संव्यवहार उपक्रम हैं, उत्पादन अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा । (एक) वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से कम होने की दशा में ऐसे पवन / सोलर उत्पादक, जो अनुसूची की सारिणी —एक में दिए गए अनुसार राज्य के विचलन निष्क्रिय खातों

में राज्य की इकाई है, द्वारा उत्पादन में आई कमी हेतु विचलन प्रभार देय होगा।

- (दो) वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से अधिक होने की दशा में ऐसे पवन/सोलर उत्पादक, जो अनुसूची की सारिणी दो में दिए गए अनुसार राज्य के विचलन निष्क्रिय खातों में राज्य की इकाई है, द्वारा अधिक उत्पादन हेतु विचलन प्रभार देय होगा।
- (तीन) पवन/सोलर उत्पादकों, जो राज्य इकाई राज्यान्तरिक संव्यवहार उपक्रम हैं, को वास्तविक उत्पादन के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- (चार) किसी उत्पादन स्टेशन या पूलिंग स्टेशन, यथास्थिति, का वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से कम या अधिक होने की दशा में पवन/सोलर उत्पादन या क्यू.सी.ए. द्वारा उत्पादन में कमी या अधिक्य हेतु विचलन प्रभार यथास्थिति, अनुसूची की सारणी तीन या सारणी—चार में दिए गए अनुसार, यथास्थिति, दिए गए राज्य विचलन निष्क्रिय खाते को देय होंगे।
- (ग) पवन/ सोलर उत्पादक, जैसा कि वे राज्य इकाई अन्तर्राज्यीय संव्यवहार उपक्रम है, के मामले में राज्यान्तरिक संव्यवहार अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु यह कि ऐसे उत्पादकों का जो निकाय स्टेशन की एल.वी. पर है और मीटरीकरण, अनुसूचीकरण, ऊर्जा के लेखाकरण तथा ऐसे पवन या सोलर उत्पादक हेतु विचलन का व्यवस्थापन खाते पर पृथक दायक से संयोजित हैं, पृथक रूप से रखरखाव किया जाएगा ।
- (घ) जहां अनुसूची की सारणी एक तथा सारणी दो के अधीन निर्दिष्ट नियत दर अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा यथा निर्धारित या अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा पारित दर पी.पी.ए. हैं वहां गुणित पी.पी.ए. के मामले में पी.पी.ए. दरों का औसत मूल्य/माप नियत दर के रूप में लिए जाएगा । पवन/सोलर उत्पादक संबंधित एस.एल.डी.सी. के लिए विचलन प्रभार खाता, जो पी.पी.ए. की प्रति द्वारा समर्थित है, तैयार करने के प्रयोजन हेतु शपथ—पत्र पर पी.पी.ए. दर प्रस्तुत करेगा ।
- (इ) राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा विक्रय करने वाले खुली पहुंच भागीदारों हेतु नियत दर, जो क्रेता के आर.पी.ओ. अनुपालन हेतु दिया गया लेखा—जोखा नहीं है, और पवन या सोलर संयंत्र की औसत ऊर्जा क्रय लागत (एपीपीसी) दर वहीं होगी जो समय—समय पर केन्द्रीय आयोग के पृथक् आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
- (च) एस.एल.डी.सी. द्वारा समूह खाते से निधि का उपयोग करते हुए तथा राज्य इकाई के रूप में पवन तथा सोलर अन्तर्राज्यीय चक्रण संव्यवहार को ध्यान में रखते हुए क्रेता द्वारा अनुसूची को पवन तथा सोलर उत्पादकों, जो राज्य की इकाई हैं, के संबंध में मानी गई नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आर.पी.ओ.) के अनुपालन में संतुलन बनाए रखते हुए मासिक आधार पर सम्पूर्ण समूह में प्रथम सम्मिलित किया जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में चाही शेष रहने पर सोलर तथा गैर—सोलर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण—पत्रों, यथास्थिति, समतुल्य क्रय के माध्यम से

संतुलित किया जाएगा और राष्ट्रीय आर.ई.सी. के समतुल्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के सकारात्मक संतुलन हेतु डी.एस.एम. में जमा किया जाएगा तथा भविष्य में व्यवस्थापन हेतु आगे बढ़ाया जाएगा ।

- (छ) राज्य ऊर्जा समिति के सचिवालय हेतु राज्य भार प्रेषक केन्द्र पवन तथा सोलर उत्पादकों को सिम्मिलित करते हुए अनुसूचीवार समय—खण्ड समस्त उत्पादकों हेतु वास्तविक उत्पादन तथा विचलन के अभिलेख तथा खातों को यथास्थिति, को बनाए रखेगा।
- (ज) एक बार उपरोक्त लेखाकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने पर राज्य विचलन समूह खाते में वास्तविक समूह के रूप में समस्त पवन और सोलर उत्पादकों को एक साथ माना जाएगा । पवन तथा सोलर उत्पादकों हेतु वास्तविक खाते हेतु और उसमें विचलन सर्वप्रथम उपरोक्त नियत किए गए दर पर तथा कार्य प्रणाली के अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे ।

7. भार प्रेषण केन्द्र के अनुदेश का अनुपालन

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्रिड सुरक्षा तथा ग्रिड नियंत्रण के हित में अन्तःक्षेपण तथा आहरण पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अनुदेशों का विक्रेताओं तथा क्रेताओं द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा ।

8. विचलन प्रभार हेतु लेखाकरण :-

- (1) एस.एल.डी.सी. द्वारा साप्ताहिक आधार पर गुरूवार को प्रदाय किए गए डाटा के आधार पर इन विनियमों के अधीन यथास्थिति एस.एल.डी.सी. द्वारा उदग्रहीत विचलनों हेतु प्रभार की विवरणी तैयार की जाएगी और उपान्तिम रविवार की मध्य रात्रि को समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि में आगामी मंगलवार को समस्त धारकों को जारी किए जाएँगे।
- (2) इन विनियमों तथा हित, यदि कोई हो, के अधीन विचलन हेतु उदग्रहीत किए गए प्रभारों के खातों के समस्त भुगतान तथा विलंब भुगतान हेतु प्राप्त किए गए समस्त भुगतान निधि में जमा किए जाएंगे जो "राज्य विचलन समूह खाता" कहलाएगा । जो इन विनियमों के उपबंधों अनुसार संबंधित राज्य भार प्रेषक केन्द्र द्वारा संधारित तथा संचालित किया जाएगा ।

परन्तु यह कि,

- (क) आयोग आदेश द्वारा किसी अन्य इकाई को संबंधित "राज्य विचलन समूह खाता" संचालित तथा संधारित करने के निर्देश दे सकेगा ।
- (ख) एस.एल.डी.सी. (या यथास्थिति संबंधित राज्य ऊर्जा सिमति के सिचवालय) द्वारा विचलन प्रभार के मूल घटक तथा ब्याज घटक तथा विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार, हेतु पृथक बही खाते संघारित करेगा ।

- (3) "राज्य विचलन समूह खाता" में प्राप्त समस्त भुगतान निम्नलिखित क्रम में रखे जाएंगे,—
 - (क) प्रथम, विचलन हेतु प्रभार की वसूली पर उपगत कोई लागत, व्यय या अन्य प्रभार;
 - (ख) आगामी अधिक देय या शास्ति ब्याज, यदि लागू हों;
 - (ग) आगे सामान्य ब्याज;
 - (घ) आगे क्षेत्रीय समूह खाते को देय;
 - (इ) अन्त में, विचलन हेतु प्रभार तथा विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार ।

9. विचलन के लिए प्रभार के भुगतान की अनुसूची :--

- (1) विचलन हेतु प्रभार उच्च प्राथमिकता पर होगा और एस.एल.डी.सी. द्वारा (या राज्य ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा यथास्थिति) विचलन हेतु प्रभार की विवरणी जारी करने से दस दिन के भीतर राष्ट्रित घटक "राज्य विचलन समूह खाता" में दर्शित राशि का भुगतान करेंगे ।
- (2) एस.एल.डी.सी. द्वारा (या राज्य ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा) विचलन हेतु प्रभार के लिए विवरणी जारी करने से दो दिन से अधिक, अर्थात बारह दिन, विलंब से भुगतान किया जाता है तो अदायगी नहीं करने वाले घटक को विलंब के प्रत्येक दिन हेतु 0.04 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा ।
- (3) विचलन हेतु प्रभार के मद्दे किसी राशि को प्राप्त करने की हकदार इकाई को "राज्य विचलन समूह खाता" में प्राप्त भुगतान के 2 कार्य दिवस के भीतर समस्त भुगतान किए जाऐंगे :

परन्तु यह कि –

- (क) विचलन हेतु प्रभार की विवरणी जारी होने से 12 दिन से अधिक विलंब से (राज्य) विचलन हेतु प्रभार की विवरणी जारी होने से 12 दिन से अधिक विलंब से (राज्य) विचलन समूह खाता में विचलन हेतु भार तथा उस पर ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करने के मामले में राज्य इकाई, जिसे विचलन के लिए भुगतान या उस पर ब्याज प्राप्त होना है, (राज्य) विचलन समूह खाता में उपलब्ध अतिशेष से चुकाया जाएगा । राज्य इकाई को भुगतान पूरा करने के लिए पर्याप्त अतिशेष प्राप्त नहीं होने के मामले में राज्य विचलन समूह खातों से भुगतान, विचलन समूह खाते में उपलब्ध अतिशेष से आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा ।
- (ख) "राज्य विचलन पूल खाते" के भुगतान में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने की देयता, ब्याज का भुगतान होने तक बनी रहेगी, इस तथ्य के बावजूद कि जिन पार्टियों को भुगतान प्राप्त करना है, उन्हें हिस्सा या पूर्ण में राज्य विचलन पूल खाते से भुगतान किया गया है।
- (4) समस्त राज्य इकाई, जो पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विचलन हेतु प्रभार का भुगतान करने में असफल रहती हैं, को पूर्व

वित्तीय वर्ष में विचलन हेतु साप्ताहिक दायित्व के उसके औसत देय का 110 प्रतिशत के समतुल्य ऋण का एक पत्र इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पखवाड़े के भीतर एस.एल.डी.सी. के पक्ष में खोलना अपेक्षित होगा :

.परन्तु यह कि, –

- (क) यदि कोई राज्य इकाई चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय में विचलन हेतु प्रभार का भुगतान करने में असफल रहता है तो भुगतान की नियत तारीख से पखवाड़े के भीतर राज्य भार प्रेषक केन्द्र के पक्ष में बकाया दायित्व के 110 प्रतिशत समतुल्य खुला जमा पत्र अपेक्षित होगा ।
- (ख) यदि पूर्व एल.सी. राशि 50 प्रतिशत से अधिक होती है तो वर्ष के दौरान किसी भी सप्ताह में विचलन हेतु देय का 110 प्रतिशत तक एल.सी. की रकम में वृद्धि की जाएगी । उदाहरण :— यदि वित्तीय वर्ष 2016—17 के दौरान राज्य इकाई के विचलन हेतु साप्ताहिक औसत देय दायित्व रू० 2.0 करोड़ हैं, तो राज्य इकाई रू० 2.2 करोड़ की एल.सी. खोलेगी। यदि वित्तीय वर्ष 2017—18 में किसी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक औसत देय दायित्व रू० 3.5 करोड़ है जो पूर्ववर्ती वर्ष के साप्ताहिक औसत दायित्व रू. 2.0 करोड़ के 150 प्रतिशत से अधिक है तो संबंधित राज्य इकाई रू० 1.65 (3.85—2.2) करोड़ को जोड़ते हुए 3.85 करोड़ (1.1x3.5) तक एल.सी. राशि में वृद्धि करेगी ।
- (5) विचलन हेतु प्रभार की विवरणी जारी होने की तारीख से 12 दिन के विनिर्दिष्ट समय के भीतर ''राज्य विचलन समूह खाता'' में भुगतान करने में असफल रहने के मामले में एस.एल. डी.सी. संबंधित संघटक के बकाया की सीमा तक एल.सी. को भुनाने का हकदार होगा और संबंधित संघटक 3 दिन के भीतर एल.सी. रकम की पूर्ति करेगा ।

10. राज्य ऊर्जा समिति का शासन, संरचना तथा गठन :--

- (1) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य कर्जा समिति की संचालन प्रक्रिया को तथा गठन हेतु कार्य नियमों को नियमबद्ध करेगा जो राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।
- (2) राज्य ऊर्जा समिति, --
 - (क) स्त्रोतों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अन्तर्राज्यीय ऊर्जा आदान—प्रदान को समन्वित करेगी तथा सुविधा देगी ।
 - (ख) ऊर्जा के अन्तर उपयोगिता आदान—प्रदान हेतु ऊर्जा लेखाकरण तथा बिल बनाने पर पुनर्विचार करेगी ।

- (ग) इस विनियमों के अनुसार राज्य इकाईयों के बीच विचलन व्यवस्थापन को सुनिश्चित करेगी ।
- (घ) राज्य इकाईयों द्वारा इन विनियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगी ।

11. शिथिलिकरण की शक्ति :--

आयोग स्व—प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिलीकरण प्रदान किए जाने से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों हेतु सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा इन विनियमों के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा ।

12. निर्देश जारी करने की शक्ति :--

यदि इन विनियमों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों तथा प्रयोजन के इन विनियमों के उद्देश्यों तथा प्रयोजन के अनुपालन में आवश्यक समझे जा सकें।

13. निरसन तथा व्यावृत्तियां :--

- (1) इन विनियमों में किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वे आयोग की ऐसे आदेशों, जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रियां के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हो सकें, देने की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित करती है या अन्यथा प्रभावित करती है।
- (2) यदि आयोग के विचार में मामले या मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में कार्यवाही करना आवश्यक तथा समीचीन है तो इन विनियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह आयोग को किसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के उपबंधों से असंगत हो, को अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप स्वीकार करने से रोकती हो।
- (3) इन विनियमों में की किसी भी बात यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह आयोग को किसी विषय में कार्यवाही करने जिसके लिए यदि कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति को उपयोग में लाते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करने से रोकेगा और आयोग ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझें।

आयोग के आदेशानुसार, शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

अनुसूची :- पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों हेतु विचलन प्रमार

सारणी — एक : — राज्य इकाईयों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहार उपक्रम के रूप में पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम आवक के मामले में विचलन प्रभार

अनुक्रमांक	15 मिनट समय—खण्ड में पूर्ण त्रुटि	राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रभार
1.	<= 15 प्रतिशत	पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु दर 15 प्रतिशत तक की नियत दर से
2.	> 15 प्रतिशत किन्तु <= 25 प्रतिशत	(पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु नियत दर पर 15 प्रतिशत) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 110 प्रतिशत)
3.	> 25 प्रतिशत किन्तु <=35 प्रतिशत	(पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु 15 प्रतिशत तक) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 110 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर 120 प्रतिशत)
4.	> 35 प्रतिशत	(पूर्ण त्रुटि हेतु ऊर्जा में कमी हेतु 15 प्रतिशत तक) + (15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 110 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर का 120 प्रतिशत) + (35 प्रतिशत से अधिक अतिशेष ऊर्जा हेतु नियत दर 130 प्रतिशत)

सारणी — दो : — राज्य इकाईयों, अन्तर्राज्यीय संव्यवहार उपक्रम के रूप में पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा अधिक आवक के मामले में विचलन प्रभार

अनुक्रमांक	15 मिनट समय—खण्ड में पूर्ण त्रुटि	राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रमार
1.	<= 15 प्रतिशत	15 % प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर पर
2.	> 15 प्रतिशत	(15 % प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर) + (15 % से
	किन्तु '	अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का
	<= 25 प्रतिशत	90 प्रतिशत)
3.	> 25 प्रतिशत	(15 % तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर) + (15 प्रतिशत से
	किन्तु	अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का
	<= 35 प्रतिशत	90 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35 प्रतिशत तक
		अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का 80 प्रतिशत)
4.	> ३५ प्रतिशत	(15 % प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर) + (15
		प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु
		नियत दर का 90 प्रतिशत) + (25 प्रतिशत से अधिक तथा 35
-		प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर का 80 प्रतिशत) +
		(35 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा हेतु नियत दर 70 प्रतिशत)

सारणी — तीन — राज्य के भीतर ऊर्जा विक्रय हेतु इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात् चालू पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम आवक या अधिक आवक के मामले में विचलन प्रमार

अनुक्रमांक	15 मिनट समय—खण्ड में पूर्ण त्रुटि	राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रभार
		es agents
1.	- <= 10 प्रतिशत	कोई नहीं
2.	> 10 प्रतिशत	10 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम
	किन्तु	या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट रू० ०.५०)
	<= 20 प्रतिशत	
3.	> 20 प्रतिशत	10 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम
	किन्तु	या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट रू० o.50) + (20 प्रतिशत से
	<= 30 प्रतिशत	अधिक तथा 30 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट रू०
		1.00)
4.	> ३० प्रतिशत	10 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम
		या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट रू० ०.५०) ू.+ (२० प्रतिशत से
		अधिक तथा 30 प्रतिशत तक कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति
		यूनिट रू० 1.00) + (30 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा हेतु प्रति
		यूनिट रू0 1.50)

सारणी — चार : राज्य के भीतर ऊर्जा विक्रय हेतु इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व चालू पवन/सोलर उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम आवक या अधिक आवक के मामले में विचलन प्रमार

अनुक्रमांक	15 मिनट समय—खण्ड में पूर्ण त्रुटि	राज्य विचलन समूह खाता को देय विचलन प्रभार
1.	<= 15 प्रतिशत	कोई नहीं
2.	> 15 प्रतिशत	(15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम
	किन्तु .	या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट रू० 0.50)
	<= 25 प्रतिशत	
3.	> 25 प्रतिशत 🕡	(15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम
	किन्तु	या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट रू० ०.५०) + (२५ प्रतिशत से
	<= 35 प्रतिशत	अधिक तथा 35 प्रतिशत तक अतिशेष ऊर्जा से अधिक हेतु प्रति
		यूनिट रू0 1.00)
4.	> 35 प्रतिशत	(15 प्रतिशत से अधिक तथा 25 प्रतिशत तक पूर्ण त्रुटि हेतु कम
		या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति यूनिट रू० 0.50) + (25 प्रतिशत से
ļ		अधिक तथा 35 प्रतिशत तक कम या अधिक ऊर्जा हेतु प्रति
		यूनिट रू० 1.00) + (35 प्रतिशत से अधिक अतिशेष ऊर्जा हेतु
	·	प्रति यूनिट रू० 1.50)

Bhopal Dated: 12th April, 2018

No. 513/2018/MPERC.- In exercise of the powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following Regulations, namely:

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating stations) Regulations, 2018.

1. Short title, extent and commencement

- These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar generating stations) Regulations, 2018.
- 2. They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- 3. They shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions,-

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires -
 - (a) Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) 'Actual drawal' in a time-block means electricity drawn by a buyer, as the case may be, measured by the interface meters;
 - (c) 'Actual injection' in a time-block means electricity generated or supplied by the seller, as the case may be, measured by the Interface meters;
 - (d) 'Available Capacity (AvC)' for wind or solar generators which are state entities, is the cumulative capacity rating of the wind turbines or solar inverters that are capable of generating power in a given time-block;
 - (e) 'Buyer' means a person, including distribution licensee or open access consumer, purchasing electricity through a transaction scheduled in accordance with the

- regulations applicable for short-term open access, medium-term open access and long-term open access;
- (f) 'Commission' means the M.P. Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 82 of the Act;
- (g) 'Deviation' in a time-block for a Seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a Buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal, and shall form part of the State Energy Accounts to be prepared by SLDC.
- (h) 'Deviation-RE (also termed as Absolute Error') shall mean the absolute value of the error in the actual generation of wind or solar generators which are state entities with reference to the scheduled generation and the 'Available Capacity' (AvC), as calculated using the following formula for each 15 minute time block:
 - Error (%) = 100 X [Actual Generation—Scheduled Generation] / (AvC)
- (i) 'Existing RE Project' shall mean Wind Generating Project or Solar Generating Project that has been commissioned prior to date of notification of these Regulations and the term Existing Wind/Solar Generator shall be construed accordingly;
- (j). 'Gaming' in relation to these regulations, shall mean an intentional misdeclaration of declared capacity by any seller in order to make an undue commercial gain through Charge for Deviations;
- (k) 'Grid Code' means the M.P. Electricity Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
- (I) 'Interface meters' means interface meters as defined by the Central Electricity Authority under the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time;
- (m) 'Interconnection Point' means the HV side of the pooling station (line isolator of the outgoing feeder of the HV side of the pooling S/S), which shall be the same level at which forecast and schedule need to be prepared by wind and solar generating stations for onward submission to SLDC;
- (n) 'State Load Despatch Centre' means Load Despatch Centre of the State established under sub-section (1) of section 31 of the Act, responsible for coordinating scheduling of the Buyers and the Sellers in accordance with the provisions of state Grid Code;

- (o) 'New RE Project' shall mean Wind Generating Project or Solar Generating Project that has been commissioned subsequent to date of notification of these Regulations and the term New Wind/Solar Generator shall be construed accordingly;
- (p) Open Access Regulations' means the M.P. Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for intra-state Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 as amended from time to time and shall include any subsequent amendment thereof.
- (q) 'Pool Account' means state account for receipts and payments on account of deviation by buyers or sellers including wind and solar generators;
- (r) 'Pooling Station' means the sub-station where pooling of generation of individual wind generators or solar generators is done for interfacing with the next higher voltage level:

Provided that where there is no separate pooling station for a wind/solar generator and the generating station is connected through common feeder and terminated at a sub-station of distribution company/STU/CTU, the sub-station of distribution company/STU/CTU shall be considered as the pooling station for such wind/solar generator, as the case may be;

- (s) 'Qualified Coordinating Agency (QCA)': means the agency coordinating on behalf of Wind/Solar Generators connected to a pooling station. QCA may be one of the generators or any other mutually agreed agency for the following purposes:
 - Coordinate for schedules with periodic revisions on behalf of all the Wind/Solar Generators connected to the pooling station(s).
 - Responsible for coordination with STU/SLDC for metering, data collection/ transmission, communication.
 - Undertake commercial settlement on behalf of the generators of such charges pertaining to generation deviations only including payments to the Regional/State Deviation Pool Accounts through the SLDC.
 - Undertake de-pooling of payments received on behalf of the generators from the State Deviation Pool Account and settling them with the individual generators.
 - Undertake commercial settlement of any other charges on behalf of the generators as may be mandated from time to time.
 - QCA shall be treated as a State Entity and shall be registered with SLDC;

- (t) 'Scheduled Generation' at any time or for a time block or any period means schedule of generation in MW or MWh ex-bus given by the concerned Load Despatch Centre;
- (u) 'Scheduled Drawal' at any time or for a time block or any period time block means schedule of despatch in MW or MWh ex-bus given by the concerned Load Despatch Centre;
- (v) 'Seller' means a person, including a generating station, supplying electricity through a transaction scheduled in accordance with the Regulations applicable for short-term open access, medium-term open access and long-term open access;
- (w) 'State Entity' means such person who is in the SLDC control area and whose metering and energy accounting is done at the state level;
- (x) 'Time-Block' means a time block of 15 minutes, for which specified electrical parameters and quantities are recorded by special energy meter, with first time block starting at 00.00 hrs;
 - Provided that time block shall be revised to 5 minutes from the date to be notified by the Commission.
- (2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these Regulations and not defined, but defined in the Act, or the Grid Code or any other Regulations of this Commission shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or the Grid Code or any other Regulation.

3. Objective and Scope

- (1) The objective of these Regulations is to maintain grid discipline and grid security as envisaged under the Grid Code through the commercial mechanism for Deviation Settlement through drawal and injection of electricity by the users of the grid.
- (2) These Regulations shall be applicable to Seller(s) and Buyer(s) involved in the transactions facilitated through short-term open access or medium-term open access or long-term open access in intra-state transmission or distribution of electricity (including intra-state wheeling of power), as the case may be, in respect of all wind generators having a combined installed capacity of 10 MW and above and solar generators with an installed capacity of 5 MW and above including those connected via pooling stations and selling power within or outside the State.

4. Pre-conditions for participation in Deviation Settlement Mechanism:

These Regulations aim to govern the functioning of the various State Entities in a way that discipline is maintained with regards to the injection and drawal of energy by such State Entities and the reliability and integrity of power system is maintained.

In order to meet these objectives, necessary preconditions and covenants for participation by State Entities shall be as under:

- (1) All State Entities shall have equal and non-discriminatory treatment as regards the 'Deviation Settlement mechanism as specified in these Regulations.
- (2) The State Entities shall inform the SLDCs of all contracts they have entered into for exchange of energy.
- (3) SLDC shall take all decisions with regard to the despatching of stations after evaluating all possible network parameters, constraints, congestions in the transmission network and in the eventuality of any such network aberration, the instructions by the SLDC with regard to despatch and drawal shall be binding on all State Entities.
- (4) State Entities shall operate their equipment and loads in a manner that is consistent with the provisions of the Indian Electricity Grid Code and the M.P. Electricity Grid Code.
- (5) State Entities shall enter into BPTA (Bulk Power transmission agreement) and Connection Agreement with the concerned transmission licensee, which shall specify the physical and operational requirements for a reliable operation and gain physical access and connection to the intra-State transmission system (InSTS) or enter into Connection and Use Agreement with concerned Distribution Licensee for use of distribution system, as the case may be.
- (6) SLDC shall publish all such information as required for all other State Entities to be aware of the energy exchanges taking place within the pool as well as exigency conditions, if any.
- (7) All State Entities shall make necessary arrangements for putting up suitable meters, capable of recording energy flows at 15-minutes intervals, at the points of injection and drawal.

5. Principles for Operationalising Deviation Settlement Mechanism:

The framework for Deviation Settlement Mechanism shall cover the following key design parameters, viz. (a) Scheduling period (b) Deviation (c) Settlement period (d) Measurement unit for State Deviation Pool Account (e) Deviation Pool Price Vector (f) Deviation Volume Limit (g) Premise for allocation of losses.

(a) Scheduling Period: The scheduling period shall comprise of 96 time blocks, each of 15-minutes duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). The first time block of scheduling period shall commence from 00:00 hours (IST) to 00:15 hours (IST), second time block of scheduling period shall commence from 00:15 hours (IST) to 00:30 hours (IST) and so on.

Provided that from the date to be notified by the Commission, the scheduling period shall be revised to 288 time blocks, each of 5-minutes duration starting from 00:00 hours (IST) ending with 24:00 hours (IST). Accordingly, the Interface Metering, Energy Accounting and Deviation Settlement should be capable to undertake transactions with 5-minutes duration. All future resource planning, IT and communication system requirement and infrastructure development shall be undertaken to cater to this requirement.

Based on the availability schedule forecasted by generating stations (Sellers) and load requirement forecasted by Buyers, the SLDC shall draw up the least cost despatch schedule on Day Ahead basis for the State Entities in accordance with the merit order principles approved by the Commission from time to time;

Provided that wheeling transactions of captive users and open access consumers shall be despatched as contracted subjected to transmission constraints and system emergency conditions.

- (b) **Deviation**: For the purposes of Deviation settlement amongst State Entities, the SLDC shall work out the 'Deviation Pool Accounts' comprising over-drawal/under-drawal and over-injection and under-injection for each State Entity corresponding to each Scheduling period in accordance with the provisions of these Regulations.
- (c) Settlement Period: Preparation and settlement of 'Deviation Pool Accounts' shall be undertaken on weekly basis coinciding with mechanism followed for regional energy accounts.

- (d) Measurement Unit for Deviation Pool Account: The measurement unit for Deviation Pool Volume (Over-drawal/under-drawal and Over-injection/under-injection) preparation shall be kiloWatt hours (kWh). Measurement unit for Deviation Pool Value (Payable and Receivable) preparation shall be Indian Rupees (INR). The decimal component of the energy unit (kWh) and amount (INR) shall be rounded off to nearest integer value.
- (e) Deviation Pool Price Vector: The charges for Deviation shall be in accordance with the Deviation Price Vector to be notified by the Commission from time to time. Separate treatment for pricing of Deviation of Buyers/Sellers and Wind/Solar Generators, as stipulated under Regulation 6 shall be applicable. Further, additional condition for a change in sign of the deviation shall be met once every 6 time blocks by Buyer/Seller except for Wind or Solar Generator(s), failing which additional charges @10% of the deviation charges applicable shall be levied for the duration of continuance of violation.
- (f) **Deviation Volume Limit**: In order to ensure grid discipline and grid security, conditions for Deviation Volume Limit and consequences for exceeding such Deviation Volume Limit by way of levy of Additional Deviation Charges as specified under Regulation 8 shall be applicable.
- (g) Premise for allocation of losses: For the purpose of Deviation Pool accounting, intra-State transmission system losses as approved by the Commission shall be allocated amongst the State Entities in proportion to the actual drawal by each State Entity.

Provided that State Load Despatch Centre shall maintain account of actual intra-state transmission system loss for each time block and publish reconciliation statement of 52 weekly average loss vis-à-vis approved loss by the Commission on its website.

6. Forecasting, scheduling and elimination of gaming

(a) Procedure :-

(1) The provisions of the Grid Code and the M.P. Electricity Regulatory Commission (terms and Conditions for intra-state open access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 as amended from time to time, shall be applicable for declaration of capacity, scheduling and elimination of gaming. (2) The generating station, as far as possible, shall generate electricity as per the day-ahead generation schedule finalized by the State Load Despatch Centre in accordance with the Grid Code.

Provided that the revision in generation schedule on the day of operation shall be permitted, in accordance with the procedure specified under the Grid Code and M.P. Electricity Regulatory Commission (terms and Conditions for intra-state open access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 as the case may be.

- (3) The wind and solar generator or the QCA, as the case may be, shall have the option of accepting the concerned SLDC's forecast for preparing its schedule or provide the concerned SLDC with a schedule based on its own forecast, and such schedule shall be used as reference for deviation settlement.
- (4) The QCA shall coordinate the aggregation of schedules of all generators connected to a pooling station and communicate it to the SLDC. The QCA shall undertake all commercial settlement on behalf of the wind or solar generator(s) connected to the respective pooling station(s).
- (5) The plan for data telemetry, formats of forecast submission and other details in this regard shall be provided in the Detailed Procedure to be prepared by SLDC and approved by the State Commission.
- (6) The Commission, either suo-motu or on a petition made by SLDC, or any affected party, may initiate proceedings against any generating company or seller on charges of gaming and if required, may order an inquiry in such manner as decided by the Commission. When the charge of gaming is established in the above inquiry, the Commission may, without prejudice to any other action under the Act or Regulations thereunder, disallow any charges for Deviation received by such generating company or the seller during the period of such gaming.
- (7) The charges for deviation for wind and solar generators which are state entities undertaking inter-state or intra-state transactions, shall be governed as per the provisions outlined under the following sub-clauses of this regulation.
- (b) The wind or solar generators which are state entities undertaking intra/inter-state transactions shall be paid as per schedule generation.
 - (i) In the event of actual generation being lesser than the scheduled generation,

- the deviation charges for shortfall in generation shall be payable by such wind or solar generator which are state entities into State Deviation Pool Account as given in *Table -I of Schedule*.
- (ii) In the event of the actual generation being more than the scheduled generation, the Deviation Charges for excess generation shall be payable to the wind or solar generators which are state entities undertaking inter-state transactions from State Deviation Pool Account as given in <u>Table - II of</u> Schedule.
- (iii) The wind or solar generators which are state entities undertaking intra-state transactions, shall be paid as per actual generation.
- (iv) In the event of actual generation of a generating station or a pooling station, as the case may be, being less or more than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall or excess generation shall be payable by the wind and solar generator or the QCA, as the case may be, to the State Deviation Pool Account, as given in <u>Table III or Table-IV of Schedule</u>, as the case may be.
- (c) In case of wind or solar generators as state entities undertaking intra-state transactions and inter-state transactions shall be allowed provided that such generators are connected to separate feeders at LV side of the Pooling Substation and metering, scheduling, energy accounting and deviation settlement account for such wind or solar generators are maintained separately.
- (d) Where the Fixed Rate referred under <u>Table-I and Table-II of Schedule</u> is the PPA rate as determined by the Commission under section 62 of the Act or adopted by the Commission under section 63 of the Act. In case of multiple PPAs, the weighted average of the PPA rates shall be taken as the Fixed Rate. The wind and solar generators shall furnish the PPA rates on affidavit for the purpose of Deviation charge account preparation to concerned SLDC supported by copy of the PPA.
- (e) Fixed Rate for Open Access participants selling power which is not accounted for RPO compliance of the buyer, and the captive wind or solar plants shall be the Average Power Purchase Cost (APPC) rate at the National level, as may be determined by the Central Commission from time to time through a separate order.
- (f) With regard to inter-state wheeling transactions of Wind and Solar Generating

stations as State Entities, for balancing of deemed renewable purchase obligation (RPO) compliance of buyers with respect to schedule, deviations by all wind and solar generators which are state entities shall first be netted off for the entire pool on a monthly basis and any remaining shortfall in renewable energy generation must be balanced through purchase of equivalent solar and non-solar Renewable Energy Certificates (RECs), as the case may be, by SLDC by utilising funds from the Pool Account. For positive balance of renewable energy generation, equivalent notional RECs shall be credited to the DSM Pool and carried forward for settlement in future.

- (g) State Load Despatch Centre [or the Secretariat of State Power Committee, as the case may be] shall maintain separate records and account of time-block wise schedules, actual generation and deviations for all generators, including wind and solar generators.
- (h) Once the accounting procedures as above are put in place, all Wind and Solar generators shall be treated together as a virtual pool within the State Deviation Pool Account. Deviations for and within this virtual pool could be settled first at the rates and methodology stipulated above for wind and solar generators.

7. Compliance with instructions of Load Despatch Centre

Notwithstanding anything specified in these Regulations, the sellers and the buyers shall strictly follow the instructions of the State Load Despatch Centre on injection and drawal in the interest of grid security and grid discipline.

8. Accounting of Charges for Deviation

- (1) A statement of Charges for Deviations levied under these Regulations shall be prepared by SLDC [or by the Secretariat of the State Power Committee, as the case may be] on weekly basis based on the data provided by SLDC by the Thursday of the week and shall be issued to all constituents by next Tuesday, for seven day period ending on the penultimate Sunday mid-night.
- (2) All payments on account of Charges for Deviation levied under these Regulations and interest, if any, received for late payment shall be credited to the funds called the "State Deviation Pool Account", which shall be maintained and operated by the concerned

State Load Despatch Centre in accordance with provisions of these regulations.

Provided that -

- (a) the Commission may by order direct any other entity to operate and maintain the respective "State Deviation Pool Account":
- (b) separate books of accounts shall be maintained for the principal component and interest component of Charges for Deviation and Additional Charges for Deviation by SLDC (or by the Secretariat of the respective State Power Committee, as the case may be).
- (3) All payments received in the "State Deviation Pool Account" shall be appropriated in the following sequence:
 - (a) First towards any cost or expense or other charges incurred on recovery of Charges for deviation.
 - (b) Next towards over dues or penal interest, if applicable.
 - (c) Next towards normal interest.
 - (d) Next dues towards Regional Deviation Pool Account
 - (e) Lastly, towards charges for deviation and additional charges for deviation.

9. Schedule of Payment of Charges for Deviation

- (1) The payment of charges for Deviation shall have a high priority and the concerned constituent shall pay the indicated amounts within ten days of the issue of statement of Charges for Deviation by SLDC [or by the Secretariat of the State Power Committee, as the case may be] into the "State Deviation Pool Account".
- (2) If payments against the Charges for Deviation are delayed by more than two days, i.e., beyond twelve (12) days from the date of issue of the statement by the SLDC (or the Secretariat of the State Power Committee, as the case may be), the defaulting constituent shall have to pay simple interest @ 0.04% for each day of delay.
- (3) All payments to the entities entitled to receive any amount on account of charges for Deviation shall be made within 2 working days of receipt of the payments in the "State Deviation Pool Account".

Provided that -

- (a) in case of delay in the Payment of charges for Deviations into the [State] Deviation Pool Account and interest there on if any, beyond 12 days from the date of issue of the Statement of Charges for Deviations, the State Entities who have to receive payment for Deviation or interest thereon shall be paid from the balance available in the [State] Deviation Pool Account. In case the balance available is not sufficient to meet the payment to the State Entities, the payment from the State Deviation Pool Accounts shall be made on pro rata basis from the balance available in the Deviation Pool Account.
- (b) the liability to pay interest for the delay in payments to the "State Deviation Pool Account" shall remain till interest is not paid; irrespective of the fact that constituents who have to receive payments, have been paid from the "State Deviation Pool Account" in part or full.
- (4) All State Entities which had at any time during the previous financial year failed to make payment of Charges for Deviation within the time specified in these Regulations shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of its average payable weekly liability for Deviations in the previous financial year, in favour of the SLDC within a fortnight from the date these Regulations come into force.

Provided that -

- (a) if any State entity fails to make payment of Charges for Deviation by the time specified in these Regulations during the current financial year, it shall be required to open a Letter of Credit equal to 110% of weekly outstanding liability in favour of State Load Despatch Centre within a fortnight from the due date of payment.
- (b) LC amount shall be increased to 110% of the payable weekly liability for Deviation in any week during the year, if it exceeds the previous LC amount by more than 50%.

Illustration: If the average payable weekly liability for Deviation of a State entity during [2016-17] is Rs. 2.0 crore, the State entity shall open LC for Rs. 2.2 crore in [2017-18]. If the weekly payable liability during any week in [2017-18] is Rs. 3.5 crore which is more than 150% of the previous financial year's average payable weekly liability of Rs 2.0 Crore, the concerned state entity shall increase the LC

amount to Rs. 3.85 Crore (1.1*3.50) by adding Rs. 1.65 Crore (3.85 - 2.2).

(5) In case of failure to pay into the "State Deviation Pool Account" within the specified time of 12 days from the date of issue of statement of charges for Deviations, the SLDC shall be entitled to encash the LC of the concerned constituent to the extent of the default and the concerned constituent shall recoup the LC amount within 3 days.

10. Governance Structure and constitution of State Power Committee

(1) Within three months from date of notification of these Regulations, the State Load Despatch Centre shall formulate Operating Procedures and Business Rules for constitution of State Power Committee, which shall be approved by the State Commission.

(2) The State Power Committee shall:

- (a) Co-ordinate and facilitate the intra-state energy exchange for ensuring optimal utilisation of resources.
- (b) Review energy accounting and billing for inter-utility exchange of power
- (c) Ensure settlement of deviations amongst State Entities in accordance with these Regulations.
- (d) Monitor compliance of these Regulations by State Entities.

11. Power to Relax.

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

12. Power to issue directions:-

If any difficulty arises in giving effect to these Regulations, the Commission may on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such directions as may be considered necessary in furtherance of the objective and purpose of these Regulations.

13. Repeal and Savings :-

(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise effect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice to meet or to prevent abuses of the Process of the Commission.

- (2) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at Variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- (3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in manner it thinks fit.

By order of the Commissioner, SHAILENDRA SAXENA, Commission Secretary.

Schedule-: Deviation Charges for Wind/Solar Generating Stations

<u>Table – I: Deviation Charges in case of under injection by Wind/Solar</u>
<u>Generating Stations as State Entities undertaking Inter-state</u>
<u>transactions</u>

S. No.	Absolute Error in the 15-minute time block	Deviation Charges payable to State Deviation Pool Account
1.	<= 15%	At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%
2.	>15% but <=25%	(At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25%)
3.	>25% but <=35%	(At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25%) + (120% of the Fixed Rate for balance energy beyond 25% and upto 35%)
4.	>35%	(At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%) + (110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25%) + (120% of the Fixed Rate for balance energy beyond 25% and upto 35%) + (130% of the Fixed Rate for balance energy beyond 35%)

<u>Table - II: Deviation Charges in case of over injection by Wind/Solar</u> <u>Generating Stations as State Entities undertaking Inter-state transactions</u>

	 	
S. No.	Absolute Error in the 15-minute time block	Deviation Charges payable to State Deviation Pool Account
1.	<= 15%	At the Fixed Rate for the excess energy upto 15%
2.	>15% but <=25%	(At the Fixed Rate for the excess energy upto 15%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25%)
3.	>25% but <=35%	(At the Fixed Rate for the excess energy upto 15%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25%) + (80% of the Fixed Rate for excess energy beyond 25% and upto 35%)
4.	>35%	(At the Fixed Rate for the excess energy upto 15%) + (90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25%) + (80% of the Fixed Rate for excess energy beyond 25% and upto 35%) + (70% of the Fixed Rate for excess energy beyond 35%)

<u>Table – III: Deviation Charges in case of under-injection or over injection, by</u>

<u>Wind/Solar Generating Stations commissioned after date of Notification of these</u>

<u>Regulations for sale of power within State</u>

S. No.	Absolute Error in the 15-minute time block	Deviation Charges payable to State Deviation Pool Account
1.	<= 10%	None
2.	>10% but <=20%	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 20%)
3.	>20% but <=30%	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 20%) + (At the Rs 1.00 per unit for balance energy beyond 20% and upto 30%)
4.	>30%	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 10% and upto 20%) + (At the Rs 1.00 per unit for shortfall or excess energy beyond 20% and upto 30%) + (At the Rs 1.50 per unit for balance energy beyond 30%)

<u>Table – IV: Deviation Charges in case of under-injection or over injection by</u> <u>Wind/Solar Generating Stations commissioned prior to date of Notification of these</u> <u>Regulations, for sale of power within State</u>

S. No.	Absolute Error in the 15-minute time block	Deviation Charges payable to State Deviation Pool Account
1.	<= 15%	None
2.	>15% but <=25%	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 15% and upto 25%)
3.	>25% but <=35%	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 15% and upto 25%) + (At the Rs 1.00 per unit for balance energy beyond 25% and upto 35%)
4.	>35%	(At the Rs 0.50 per unit for shortfall or excess energy for Absolute Error beyond 15% and upto 25%) + (At the Rs 1.00 per unit for shortfall or excess energy beyond 25% and upto 35%) + (At the Rs 1.50 per unit for balance energy beyond 35%)